

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

बी0ए0 एवं विधि कक्षाओं हेतु सत्र 2023-24 में ऑफलाइन काउन्सलिंग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश :-

बी0ए0 एवं विधि प्रथम सेमेस्टर की ऑफलाइन काउन्सलिंग हेतु प्रवेशार्थी वरीयता सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम महाविद्यालय की वेबसाइट पर देखें तथा निर्दिष्ट सूचना के अनुसार अपने डाक्यूमेंट्स की मूल प्रति (ओरिजनल डाक्यूमेंट्स), समस्त मूल प्रतियों की दो स्वप्रमाणित छायाप्रति, दो प्रवेश आवेदन पत्र, दो रंगीन फोटो तथा प्रवेश पत्र के साथ काउन्सलिंग हेतु उपस्थित हों। प्रवेश आवेदन पत्र में पूरित अभ्युक्तियों के अनुसार निम्नलिखित पत्राजात, काउन्सलिंग हेतु आवश्यक है-

1. हाईस्कूल की अंकतालिका
2. हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र
3. इण्टरमीडिएट की अंकतालिका
4. इण्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र
5. स्नातक परीक्षा की तीनों वर्ष की अंक तालिका एवं उपाधि (मात्र एलएल.बी में प्रवेश हेतु)
6. चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति
- 7- एण्टी रैगिंग की अण्डरटेकिंग (शपथ पत्र)
(महाविद्यालय की वेबसाइट पर एण्टी रैगिंग की एक अण्डरटेकिंग (शपथ पत्र) प्रारूप उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर, हस्ताक्षर करके काउन्सलिंग के समय लाना है।
8. प्रवेश आवेदन पत्र में पूरित SC (अनुसूचित जाति)/ ST (अनुसूचित जन जाति) के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।

(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के तहसील के तहसीलदार से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति (Original Copy)।

9. प्रवेश आवेदन पत्र में पूरित OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के प्रमाण पत्र की मूल प्रति
(अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का 20 जुलाई वर्ष 2020 या उसके बाद का निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही अनुमन्य होगा।)
10. प्रवेश आवेदन पत्र में पूरित EWS के प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
(EWS का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2023-24/01 अप्रैल 2023 अथवा उसके बाद का बना होना चाहिए तथा आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के अभ्यर्थी का उ0प्र0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है।)
11. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रमाण पत्र की मूल प्रति
(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी स्वतंत्रता सेनानी आश्रित होने का मूल प्रमाण-पत्र)
12. दिव्यांग होने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति
(मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक का मूल दिव्यांगता प्रमाण-पत्र)
13. सैनिक, भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के प्रमाण- पत्र की मूल प्रति
(उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उ.प्र. में तैनात रक्षाकर्मियों के आश्रित अपने पिता के परिचय पत्र व पेंशन-पत्र की मूल प्रति)
14. GAP (अन्तराल) का शपथ पत्र (बी0ए0 में प्रवेश हेतु)

(जो छात्र संस्थागत न होने से अपनी शिक्षण संस्था से चरित्र प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उनके अध्ययनकाल में अंतराल है (तीन वर्ष या उससे कम) उन्हें अध्ययन अन्तराल एवं चरित्र प्रमाण-पत्र के लिये नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त हलफनामा (Affidavit) का मूल प्रति। (शपथ पत्र का प्रारूप प्रवेश सूचना विवरणिका 2023-24 में दिया गया है)

नोट : काउन्सलिंग की तिथि से पांच दिन के अन्दर आनलाइन शुल्क जमा करना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश को निरस्त मानते हुये प्रतीक्षा सूची से चयनित प्रवेशार्थी का प्रवेश कर लिया जायेगा। जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (Original Copy) के साथ इंटरनेट पर उपलब्ध डाउनलोड प्रति भी प्रिन्ट आउट कर प्रवेश के समय प्रस्तुत करें।

(संयोजक, प्रवेश समिति)